संख्या-03/2022/2585ई-2/तेरह-2021-1488898

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 05 जनवरी ,2022

विषयः- मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा.लि., परसेन्डी, जनपद बहराइच को शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-97/दो-प्रा.डी.-210, दिनांक 24-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24-12-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स पारले बिस्कुट प्रा.लि., परसेन्डी, जनपद बहराइच को शीरे के अतिरिक्त शुगर सीरप से वर्ष में 210 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई को शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 08-12-2021 द्वारा शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु निर्गत अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तो का भी अनुपालन करना होगा:-

(1)आसवक द्वारा केन जूस/सीरप से एथनॉल का निर्माण किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ-साथ केन जूस /शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2)भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3)इकाई द्वारा गुड मैनुफक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए एथनॉल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4)आसवनी में केन जूस से एथनॉल उत्पादन किये जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस से एथनॉल उत्पादन में प्रयोग किये गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।